सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 784 राँची, सोमवार 11 कार्तिक, 1937 (श०)

2 नवम्बर, 2015 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2015

संख्या -3/स्था0डी0-01-90/2012-**1343 (3)** भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन झारखण्ड राज्य में दन्त चिकित्सकों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्न नियमावली गठित करते है :-

अध्याय 1

सामान्य प्रावधान

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-**

(i) यह नियमावली **"झारखण्ड राज्य दन्त चिकित्सक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2015"** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ :-**

(i) ''राज्य'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

(ii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

(iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(iv) ''आयोग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग।

(v) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य दन्त चिकित्सक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2015

(vi) ''दन्त चिकित्सक'' से अभिप्रेत है वह चिकित्सक जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त किया हो। उक्त सभी उपाधि भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद् द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

3. **दन्त चिकित्सक संवर्ग की रचना** :-

इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:-

क्र0	**स्तर**	**पदनाम**	**वेतन संरचना/ग्रेड वेतन**	**अभ्युक्ति**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	प्रथम	दन्त चिकित्सक	PB-II, ग्रेड वेतन रू0 5400	मूल कोटि का पद।
2	द्वितीय	वरीय दन्त चिकित्सक	PB-III, ग्रेड वेतन रू0 6600	प्रोन्नति के प्रथम स्तर का पद।
3	तृतीय	जिला दन्त चिकित्सा पदाधिकारी	PB-IV, ग्रेड वेतन रू0 7600	प्रोन्नति के द्वितीय स्तर का पद।
4	चतुर्थ	अपर निदेशक, दन्त	PB-IV, ग्रेड वेतन रू0 8700	प्रोन्नति के तृतीय स्तर का पद।

नोट:- द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्तर के पद सृजित नहीं है। इन पदों का सृजन अलग से किया जाएगा।

अध्याय 2

भर्ती/नियुक्ति

4. **झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सक :-** (मूल कोटि) की भर्ती झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी। इनका प्रारंभिक

पदस्थापन न्यूनतम 3 वर्षो के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जायेगा। जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्तर के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति तथा शेष 50 प्रतिशत पद झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त कर सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

5. **रिक्तियों का नियतीकरण :-** प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का आकलन 31 दिसम्बर को आधार मानकर किया जायेगा।

6. **आरक्षण :-** झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सक के इस संवर्ग में भर्ती एवं प्रोन्नति से भरे जाने वाले सभी पदों में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर लागू होगें।

अध्याय 3

7. **सीधी नियुक्ति :-**

(क) झारखण्ड राज्य के दन्त चिकित्सक के संवर्ग मे प्रथम प्रवेश मूल कोटि के पद पर अर्थात दन्त चिकित्सक के पद पर नियुक्ति से होगी। राज्य सरकार में लागू आरक्षण नीति के तहत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की नियुक्ति दन्त चिकित्सक के पद पर की जायेगी। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय स्वास्थ्य जाँच प्रमाण पत्र देना होगा, जिसे असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उसके अधीन गठित चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया हो।

(ख) संवर्ग के द्वितीय एवं तृतीय स्तर के कुल स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पद एम0डी0एस0 डिग्रीधारी अभ्यार्थियों से सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी। इस निमित्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय एवं तृतीय स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के आधार पर अनुशंसा की जायेगी। अभ्यर्थियों को दन्त चिकित्सक के रूप में द्वितीय स्तर के लिए न्यूनतम 4 वर्षों का तथा तृतीय स्तर के लिए न्यूनतम 7 वर्षों का सरकारी संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा।

(ग) संवर्ग के द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण

कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पांच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंको का निर्धारण निम्नवत् होगा:-

(i) एम0डी0एस0 में प्राप्तांक - कुल 70 अंक

(ii) मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा - कुल 30 अंक

टिप्पणी - एम0डी0एस0 के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग के प्रतिशत को यथा स्थिति 0.7 के गुणक से गुणा करके होगा। जैसे किसी अभ्यर्थी के एम0डी0एस0 डिग्री की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग का प्रतिशत 50% होता है तो 50 X 0.7 = 35 अंक दिये जायेंगे।

(iii) न्यूनतम अर्हतांक:-

सामान्य वर्ग - 40 %

पिछड़ा वर्ग - 36.5 %

पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर I) - 34 %

अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला वर्ग - 32 %

अन्तर्वीक्षा में भी उपरोक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8. **सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएँ/अर्हताएँ :-**

(i) शैक्षणिक योग्यता :- मूल कोटि में सीधी नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदक को भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0डी0एस0 डिग्री प्राप्त करना तथा दन्त चिकित्सक के रूप में भारतीय दन्त पर्षद अथवा राज्य दन्त पर्षद से निबंधित होना आवश्यक होगा। परीक्षा में बैठने का अवसर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 2959 दिनांक 03.04.13 के अनुरूप होगा।

(ii) उम्र :- नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा प्रभावी होगा किन्तु न्यूनतम उम्र सीमा 23 वर्ष होगी।

आयु निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की पहली अगस्त होगी। द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर सीधी नियुक्ति हेतु यही उम्र सीमा होगी।

9. **रिक्तियों का संसूचन :-** प्रत्येक वर्ष रिक्तियों का आकलन 1ली जनवरी को सुसंगत तिथि मानकर किया जाएगा तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को इसका संसूचन किया जायेगा, ताकि आयोग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सके।

10. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा :-** स्वास्थ्य विभाग की अधियाचना के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग वांछित अर्हता के अनुरूप अभ्याथिर्यो का चयन भारतीय दन्त चिकित्सा पर्षद द्वारा बी0डी0एस0 के लिये निर्धारित स्तर की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर करेगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 13026 दिनांक 27.11.12 की कंडिका-3 (ix) के अनुसार अधियाचित रिक्ति से ढाई गुणा से न्यून नहीं होना चाहिए।

(i) **परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रम :-** लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type Multiple Choice) की होगी, जिसमें 100-100 अंक के दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र में 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type Multiple Choice) के प्रश्न होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा दो घंटे की होगी।

क) प्रथम पत्र (लिखित) :- (A)+(B)+(C) = 100 Marks

(A) 1. Human Anatomy, Embryology, Histology
2. Human Physiology & Biochemistry
3. Dental Anatomy, Embryology and Oral Histology
} 30 Marks

(B) 1. General Pathology & Microbiology
2. General and Dental Pharmacology and Therapeutics
3. Dental Materials
} 30 Marks

(C) 1. Oral Pathology and Microbiology
2. General Medicine
3. General Surgery
} 40 Marks

ख) द्वितीय पत्र (लिखित) :- 100 Marks

1. Conservative Dentistry and Endodontics
2. Oral & Maxillofacial Surgery
3. Oral Medicine and Radiology
4. Orthodontics & Dental Orthopaedics
5. Paediatric & Preventive Dentistry
6. Public Health Dentistry
7. Periododontology
8. Prosthodontics and Crown & Bridge & Implants

} 100 Marks

ग) मौखिक परीक्षा :- 50 Marks

घ) पाठ्यक्रम :- संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम Dental Council of India के अनुरूप होगा।

(ii) **न्यूनतम अहर्तांक :-**

सामान्य वर्ग - 40 %

पिछड़ा वर्ग - 36.5 %

पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-।) - 34 %

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग - 32 %

मौखिक परीक्षा के लिए भी उपरोक्त न्यूनतम अहर्ताक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) उम्मीदवारों की संख्या कुल अधियाचित पद से पांच गुणा या पांच गुणा से कम होने पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। एतदर्थ 100 अंको का निर्धारण निम्नवत् होगाः-

(क) बी0डी0एस0 में प्राप्तांक - कुल 70 अंक

(ख) मौखिक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा - कुल 30 अंक

टिप्पणी - बी0डी0एस0 के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग के प्रतिशत को यथा स्थिति 0.7 के गुणक से गुणा करके होगा। जैसे किसी अभ्यर्थी के बी0डी0एस0 डिग्री की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंको के योग का प्रतिशत 50 % होता है तो 50 X 0.7 = 35 अंक दिये जायेंगे ।

(iv) **न्यूनतम अर्हतांक :-**

सामान्य वर्ग - 40 %

पिछड़ा वर्ग - 36.5 %

पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर ।) - 34 %

अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला वर्ग - 32%

अन्तर्वीक्षा में भी उपरोक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

अध्याय 4
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

11. **प्रोन्नति की प्रक्रिया :-**

(i) संवर्ग के द्वितीय एवं तृतीय स्तर के 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेगे। जबकि चतुर्थ स्तर का पद प्रोन्नति का होगा।

(ii) इस संवर्ग में सभी प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर यथाविहित प्रक्रिया अपना कर की जायेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

12. **रिक्तियों का नियतीकरण :-** प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति के लिए उपलब्ध होने वाले पदों की रिक्तियों का आकलन 1ली जनवरी को आधार मानकर किया जायेगा।

13. **प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि :-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु लागू होगी।

अध्याय 5
विविध

14. **परीवीक्षा :-** दन्त चिकित्सक संवर्ग में प्रथम नियुक्ति के उपरान्त परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी।

15. **प्रशिक्षण :-** प्रथम नियुक्ति के उपरान्त दन्त चिकित्सकों को एक माह का संस्थागत प्रशिक्षण (Institutional Training) दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

16. **विभागीय परीक्षा :-** राजस्व पर्षद् द्वारा विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें विभागीय हिन्दी परीक्षा, लेखा परीक्षा (पुस्तक सहित एवं पुस्तक रहित) कोषागार प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य लाभ दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

17. **सेवा सम्पुष्टि :-** दो वर्षो की संतोषजनक परीक्ष्यमान अवधि के साथ विभागीय परीक्षा में उत्तीणर्ता, कोषागार प्रशिक्षण, हिन्दी परीक्षा में उत्तीर्ण होने एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा सम्पुष्ट की जायेगी। इस में आरोपों की स्थिति जान लेना अनिवार्य शर्त होगी।

18. **प्रशासनिक नियंत्रण :-** संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण विभागीय प्रधान सचिच/सचिव को होगा ।

19. **अनुशासनिक कार्रवाई :-** अनुशासनिक कार्रवाई, सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप की जायेगी ।

20. **स्वच्छता प्रतिवेदन :-** स्वच्छता प्रतिवेदन कार्मिक विभाग द्वारा इस विषय में जारी परिपत्र के आलोक में प्राप्त की जायेगी।

21. **नियमावली में परिवर्तन/संशोधन :-** इस नियमावली में यथावश्यक समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन की शक्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को होगी।

22. **निरसन एवं व्यावृति :-** इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव सें पूर्व की दन्त चिकित्सको की सेवा से संबंधित सभी अधिसूचना/संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-(अस्पष्ट),
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 784—50 ।